[TO BE PUBLSIHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE.
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

(INCOME – TAX)

Notification

New Delhi, the 15th March, 2016

S.O. _______ (E).- In exercise of the powers conferred by section 9A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (5th Amendment) Rules, 2016.
   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 10UC the following rules shall be inserted, namely:-

"**10V. Guidelines for application of section 9A.**-(1) Where the investment in the fund has been made directly by an institutional entity, the number of members and the participation interest in the fund shall be determined by looking through the said entity, if it, -

(a) independently satisfies the conditions mentioned in clauses (c), (e), (f) and (g) of sub-section (3) of section 9A;
(b) has been setup solely for the purpose of pooling funds and investment thereof; and
(c) is resident of a country or specified territory with which an agreement referred to in sub-section (1) of section 90 or sub-section (1) of section 90A has been entered into.

(2) For the purposes of clause (c) of sub-section (3) of section 9A, where direct investor in the fund is a person other than a natural person, the fund shall undertake appropriate due diligence to ascertain the indirect participation, if any, of a person resident in India and the extent thereof:

Provided that where such direct investor is, the Government or the Central bank or a sovereign fund or a multilateral agency or appropriately regulated investor in the form of pension fund or University fund or a bank or collective investment vehicles such as mutual funds, the fund shall obtain a declaration in writing from the direct investor regarding the participation, if any, of a person resident in India and the indirect participation in the fund of any person resident in India may be determined by the fund on the basis of such declaration.

Explanation.– For the purposes of this sub-rule an investor shall be considered to be appropriately regulated if it is regulated or supervised by the securities market regulator or the banking regulator of the country outside India of which it is resident, in the same capacity in which it has made investment in the fund.

(3) A fund shall not be denied the benefit of being an eligible fund for the purposes of section 9A, if, -

(a) non-fulfilment of any of the conditions specified in clauses (c), (d) and (e) of sub-section (3) of section 9A, -

(i) is for the reasons beyond the control of the fund and it does not exceed a period of ninety days;

(ii) does not exceed a period of eighteen months beginning from the date on which the fund is setup or is not beyond the final closing of the fund, whichever is earlier, and bonafide efforts are made to satisfy the conditions specified in the clauses (c), (d) and(e) of sub-section (3) of section 9A;

(iii)is for the reason that the fund is in the process of being wound up and it does not exceed a period of one year beginning from the date on which the process of winding has begun; or

(b) there is delay in furnishing the statement referred to in sub-section (5) of section 9A and such delay does not exceed a period of ninety days.

(4) For the purposes of clause (k) of sub-section (3) of section 9A, a fund shall be said to be controlling or managing a business carried out by any entity, if the fund directly or indirectly holds such rights in, or in relation to, the entity, which results in the fund holding the share capital or a voting power or an interest exceeding twenty six per cent. of the total share capital of, or as the case may be, total voting power or total interest in, the entity.

(5) Subject to the provisions of sub- rules (6), (7) and (8), for the purposes of determining the arm's length price in respect of any remuneration, paid by the eligible investment fund to an eligible fund manager, referred to in clause (m) of sub-section (3) of section 9A, the provisions of the Act shall apply as if,-

(i) the transaction between the eligible investment fund and the eligible fund manager is an international transaction; and

(ii) the eligible investment fund and the eligible fund manager are associated enterprises.

(6) The fund manager shall keep and maintain information and documents as required under section 92D and the rules made thereunder.

(7) The fund manager shall, in addition to any report required to be furnished by it under section 92E, obtain a report from the accountant in respect of activity undertaken for the fund and furnish such report on or before the specified date in the Form No. 3CEJ duly verified by such accountant in the manner indicated therein and all the provisions of the Act shall apply as if it is a report to be furnished under section 92E.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule "specified date" shall have the same meaning as assigned to "due date" in the *Explanation* 2 below sub-section (1) of section 139.

(8) Where the fund manager has either not maintained the document or information as required under section 92D and the rules made thereunder or not produced the document or information before the Assessing Officer or the Transfer Pricing Officer, as the case may be, then, the Assessing Officer or the Transfer Pricing Officer, as the case may be, shall, before determining the arm's length price for the purposes of clause (m) of sub-section (3) of section 9A, provide an opportunity to the fund to produce the information and documents necessary for the determination of the arm's length price and the arm's length price shall be determined after considering the documents or information, if any, provided by the fund.

(9) If in any previous year, it is determined that the remuneration paid or payable by a fund to the fund manager is not in accordance with the provisions of clause (m) of sub-section (3) of section 9A, then the benefits of section 9A shall not be denied to the fund which otherwise satisfies all other conditions specified in section 9A.

(10) Nothing contained in sub-rule (9) shall apply to a fund if the remuneration paid or payable by the fund to the fund manager has been determined to be not at arm's length price, -

(a) for a period of three previous years in succession; or

(b) for any three out of the preceding four previous years.

10VA. Approval of the fund.- (1) An investment fund may at its option seek approval of the Board regarding its eligibility for the purposes of section 9A.

(2) The fund seeking approval may make an application in writing, enclosing relevant documents and evidence, to Member (Income-tax), Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

(3) The application under sub-rule (2) shall be made three months before the beginning of the previous year for which the fund seeks the approval.

(4) A committee as notified by the Board, shall examine the application and submit its recommendations regarding grant of approval or otherwise and the conditions, if any, subject to which such an approval is to be granted.

(5) The committee referred to in sub-rule(4) shall be headed by a Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner, as the case may be, and consist of two other Income-tax authorities not below the rank of Commissioner.

(6) The committee on behalf of the Board may, before giving its recommendation, call for such documents or information from the investment fund as it may consider necessary and may call for further details or information from the fund as well as from the Income-tax authorities and other Departments or agencies, as it may deem fit.

(7) The Board, on the basis of the recommendations of the committee, shall, within sixty days from the end of the month in which the application under sub-rule (2) has been made,-

(i) by an order in writing, grant approval to the fund subject to such conditions as it may deem fit; or

(ii) for reasons to be recorded in writing, reject the application.

(8) The approval once granted, subject to any condition specified in this behalf, shall be applicable for the previous year referred to in sub-rule(3) and subsequent previous years unless it is withdrawn by the Board.

(9) The benefit of section 9A shall not be denied to an eligible investment fund, which has been granted approval, for any previous year for which the approval is in force and has not been withdrawn.

(10) The Board may withdraw the approval granted to any fund, if it is satisfied that, -

(a) the approval has been obtained on the basis of misrepresentation of facts or fraud ;or

(b) the conditions mentioned in section 9A are not fulfilled; or

(c) any condition subject to which approval was granted, has been violated.

(11) No order rejecting the application or withdrawing the approval, shall be passed without giving an opportunity of being heard.

(12) A copy of the order rejecting the application or withdrawing the approval shall be communicated to the fund as well as the Assessing Officer and the Principal Commissioner or Commissioner having jurisdiction over the fund.

10VB. Statement to be furnished by the fund.- (1) The statement required to be furnished under sub-section (5) of section 9A shall be furnished for every financial year by the eligible investment fund in Form No.3CEK duly verified in the manner indicated therein, to the Assessing Officer who has the jurisdiction over the fund or would have had the jurisdiction had such fund been assessable to tax in India but for the provision of section 9A.

(2) The annual statement referred to in sub-rule (1) shall be furnished electronically under digital signature.

(3) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing of annual statement in the manner specified in sub-rule (2)."

2. In Appendix II to the said rules, after Form No. 3CEH, the following Forms shall be inserted, namely:-

"FORM No. 3CEJ

[*See* rule 10V (7)]

Report from an accountant to be furnished for purposes of section 9A relating to arm's length price in respect of the remuneration paid by an eligible investment fund to the fund manager.

*I/We have examined the accounts and records of (name and address of the fund manager with PAN) relating to the fund management activity and other transactions or services rendered by the fund manager to the eligible investment fund/ funds during the previous year ending on 31st March,

1. In*my/our opinion proper information and documents as are prescribed have been kept by the fund manager in respect of fund management activity and other transactions or services rendered by the fund manager to the fund/ funds so far as appears from *my/our examination of the records of the fund manager .

2. The particulars required to be furnished for the purposes of section 9A are given in the Annexure to this Form. In*my/our opinion and to the best of my/our information and according to the explanations given to *me/us, the particulars given in the Annexure are true and correct.

**Signed

Name

Address:

Membership No.:

Place :

Date :

Notes :

1. *Delete whichever is not applicable.

2. **This report has to be signed by an accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288.

ANNEXURE TO FORM No. 3CEJ

Particulars relating to fund management activity required to be furnished for the purposes of section 9A of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the Fund Manager

2. Address

3. Permanent account number

4. Nature of business or activities of the fund manager

5. Status

6. Residential status

7. Details of SEBI registration

   (a) Regulation under which registered

   (b) Registration number and date

8. Previous year ended

9. Assessment year

10. Aggregate value of remuneration received from the eligible fund/funds as per books of account

11. *List of eligible investment funds for whom the fund manager has undertaken the fund management activity, with the following details :*

   (a) Name of the offshore fund.

   (b) Country of residence of the fund

   (c) Whether the fund manager is an employee of the fund Yes/No

   (d) Whether the fund manager is a connected person of the Fund Yes/No

   (e) The amount of profit accruing or arising, during the previous year, to the fund from the activities carried out through the fund manager

   (f) The amount out of (e) to which the fund manager along with its connected persons is, directly or indirectly, entitled to

12. Particulars of remuneration received in respect of each eligible investment fund and each activity undertaken (if such activity is separately remunerated):

   (a) Name and address of the fund for which the fund management activity has been undertaken.

(b) Description of the activity.

(c) Total amount received or receivable in respect of the activity—

(i) as per books of account;

(ii) as computed by the fund manager having regard to the arm's length price.

(d) Method used for determining the arm's length price [*See* section 92C(1)]

13. Particulars in respect of any other transaction undertaken by the fund manager with /on behalf of the eligible investment fund:

(a) Has the fund manager entered into any other transaction or rendered any other service to the eligible investment fund or on behalf of the fund, but not specifically referred to above?

(b) If 'yes' provide the following details in respect of each fund and each transaction or service :

(a) Name and address of the eligible investment fund with which the transaction has been entered or to whom services have been rendered

(b) Description of the transaction/ nature of service.

(c) Amount paid/received or payable/receivable on account of such transaction/ service —

- as per books of account;
- as computed by the fund manager having regard to the arm's length price.

(d) Method used for determining the arm's length price [*See* section 92C(1)].

**Signed

Name :

Address :

Place :

Date :

1. **Notes :**** This report has to be signed by an accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288

Annual Statement under section 9A of the Income-tax Act, 1961

FORM No. 3CEK

[*See* rule 10VB]

Sl No.		
1	Financial Year for which the Statement is being submitted	
2	Name of the eligible fund	
3	Address of the fund	
4	Permanent Account Number (if Allotted)	
5	Country of Residence	
5	Tax Identification No., if any, of country of residence	
6	Accounting year of the Fund	
7	Details of Approval if any granted by CBDT	
8	Whether during the Financial Year the fund has satisfied all the conditions specified in section 9A and in case of Approved Fund whether conditions subject to which approval was granted, have also been fulfilled. YES/NO	
9	If answer to 8 is No then provide details and period of non fulfilment and the reasons thereof	
10	Whether any person resident in India had any participation interest directly or indirectly in the fund during the year? Yes/NO	
11	If answer to 10 is Yes provide details of person(s) and percentage interest	
12	Details of any shareholding agreement entered during the year in respect of any Indian Concern	
13	Details of Fund Manager(s) in India rendering services for or on behalf of the Fund and their SEBI registration number(s)	
14	Whether remuneration paid to the Fund manager (s) is not less than arm's length price and the basis on which it has been determined.	
15	Details of any other Activity carried out by the Fund or on behalf of the fund in India other than through the fund manager indicated in 13	
16	Amount of profit made by the Fund on its investments	
17	Contact details of representative(s) of the Fund	

VERIFICATION

I, ... [full name in block letters] .... son/daughter of .... holding ....(Designation) on behalf of the above mentioned ....(Name of Fund) solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the form is correct and complete and that the other particulars shown therein are truly stated. I further declare that I am submitting this form in my capacity as .... and I am also competent to make this submission and verify it.

Verified today the .... day of ....

Place

Signature of Authorised Signatory

Name ....".

Notification No. 14 /2016 [F.No. 142/15/2015-TPL]

(Ekta Jain) 15/3/16

Deputy Secretary (Tax Policy and Legislation)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number S.O. 650 (E) dated the 3rd March, 2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(आय-कर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 15 मार्च, 2016

का.आ. .... (अ)--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10पग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"**10फ. धारा 9क के लागू होने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत**—(1) जहां निधि में विनिधान किसी संस्थानिक निकाय द्वारा प्रत्यक्षतः किया गया है, निधि में सदस्यों की संख्या और सहभागी हित का अवधारण उस निकाय के माध्यम से यह देखकर किया जाएगा कि ,--

(क) वह धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ग), खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में वर्णित शर्तों को पूरा करता है ;

(ख) उसकी स्थापना उसकी निधियों और विनिधान को एकत्रित करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए की गई है ; और

(ग) वह उस देश या किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का निवासी है, जिसके साथ धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार किया गया है ।

(2) धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, जहां निधि में प्रत्यक्षतः विनिधानकर्ता प्राकृतिक व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति है तो निधि यह पता लगाने के लिए सम्यक् तत्परता बरतेगी कि भारत में निवासी व्यक्ति की कोई अप्रत्यक्ष भागीदारी, यदि कोई हो, है और उसका परिमाण :

परंतु जहां ऐसा सीधा विनिधानकर्ता सरकार है या केंद्रीय बैंक है या कोई स्वयंभू निधि है या कोई बहुपक्षीय अभिकरण है या पेंशन निधि या विश्वविद्यालय निधि या कोई बैंक या सामूहिक

विनिधान तंत्र जैसे पारस्परिक निधियों के रूप में समुचित रूप से विनियमित निवेशक है तो निधि सहभागिता, यदि कोई हो, के संबंध में भारत में निवासी व्यक्ति की सहभागिता, यदि कोई हो, के संबंध में लिखित में एक घोषणा अभिप्राप्त करेगी और भारत में निवासी व्यक्ति की निधि में सहभागिता का अवधारण निधि द्वारा ऐसी घोषणा के आधार पर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए किसी विनिधानकर्ता को समुचित रूप से विनियमित माना जाएगा यदि उसको प्रतिभूति बाजार विनियामक या भारत से बाहर, जिसमें वह निवासी है, के बैंककारी विनियामक द्वारा उसी क्षमता में, जिसमें उसने निधि में विनिधान किया है, विनियमित या पर्यवेक्षित किया जाता है ।

(3) किसी निधि को धारा 9क के प्रयोजनों के लिए पात्र निधि होने के फायदे से इंकार नहीं किया जाएगा, यदि,--

(क) यदि धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करना,--

(i) निधि के नियंत्रण से परे के कारण से है और वह 90 दिन की अवधि से अधिक नहीं है ;

(ii) उस तारीख से जिसको निधि की स्थापना की गई थी, से प्रारंभ होने वाली 18 मास से अधिक अवधि से अधिक नहीं होता है या निधि को अंतिम रूप से बंद करने से परे नहीं है, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो और धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए सदभावपूर्वक प्रयास किए गए हैं ;

(iii) इस कारण से कि निधि का परिसमापन किया जा रहा है और यह उस तारीख से, जिसको परिसमापन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, से आरंभ होने वाले एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होता है ; या

(ख) धारा 9क की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करने में विलंब है और ऐसा विलंब 90 दिन की अवधि से अधिक नहीं होता है ।

(4) धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ट) के प्रयोजनों के लिए किसी निधि को किसी निकाय द्वारा चलाए जा रहे कारबार को नियंत्रित या उसका प्रबंध करने वाली निधि कहा जाएगा यदि निधि प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: निकाय में या उसके संबंध में ऐसे अधिकार रखती है या उसमें कुल मतदान करने की शक्ति या निकाय में मत देने की शक्ति या, यथास्थिति, कुल शेयर पूंजी का 25 प्रतिशत से अधिक हित रखती है ।

(5) धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ड) में निर्दिष्ट किसी पात्र निधि प्रबंधक को पात्र विनिधानकर्ता द्वारा संदत्त किसी पारिश्रमिक के संबंध में संनिकट कीमत का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उपनियम (6), उपनियम (7) और उपनियम (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिनियम के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो कि,--

(i) पात्र विनिधान निधि और पात्र विनिधान प्रबंधक के बीच संव्यवहार कोई अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार है ; और

(ii) पात्र विनिधान निधि और पात्र विनिधान प्रबंधक सहयुक्त उपक्रम है ।

(6) निधि प्रबंधक धारा 92घ और उसके तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथाअपेक्षित सूचना और दस्तावेजों को रखेगी ।

(7) निधि प्रबंधक उसके द्वारा धारा 92ङ के अधीन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किसी रिपोर्ट के अतिरिक्त निधि के लिए किए गए किसी कार्यकलाप के संबंध में लेखापाल से रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट को ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यकत: सत्यापित प्ररूप सं. 3गङञ में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व उसमें इंगित रीति में प्रस्तुत करेगा तथा अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो यह धारा 92ङ के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है ।

स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट तारीख" का वही अर्थ होगा जो धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में, "नियत तारीख" का है ।

(8) जहां निधि प्रबंधक ने धारा 92घ और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित दस्तावेज या सूचना नहीं रखी है या यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अंतरण कीमत अधिकारी के समक्ष दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत नहीं की है, तो यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अंतरण कीमत अधिकारी धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ड) के प्रयोजनों के लिए संनिकट कीमत का अवधारण करने से पूर्व निधि को संनिकट कीमत का अवधारण करने के लिए आवश्यक सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा तथा संनिकट कीमत का अवधारण निधि द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों या सूचना, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् किया जाएगा ।

(9) यदि किसी पूर्व वर्ष में यह अवधारित किया जाता है कि निधि प्रबंधक निधि द्वारा संदत्त या संदेय पारिश्रमिक धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ड) के उपबंधों के अनुसार नहीं है तब निधि को धारा 9क के फायदों से इंकार नहीं किया जाएगा, जो अन्यथा धारा 9क में विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों को पूरा करती है ।

(10) उपनियम (9) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी निधि को लागू नहीं होगी,--

(क) लगातार पूर्व तीन वर्षों की अवधि के लिए; या

(ख) पूर्ववर्ती चार वर्षों में से किन्हीं तीन के लिए,

यदि निधि प्रबंधक को संदत्त या संदेय पारीश्रमिक का अवधारण इस रूप में किया गया है कि वह संनिकट कीमत नहीं है ।

10फक. निधि का अनुमोदन—(1) कोई विनिधान निधि अपने विकल्प पर धारा 9क के प्रयोजनों के लिए उसकी पात्रता के संबंध में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर सकेगी ।

(2) अनुमोदन की वांछा करने वाली निधि सुसंगत दस्तावेजों और साक्ष्य को संलग्न करते हुए लिखित में सदस्य (आय-कर) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को आवेदन कर सकेगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन आवेदन पूर्व वर्ष के आरंभ से, जिसके लिए अनुमोदन की वांछा की गई है, तीन मास पूर्व किया जाएगा ।

(4) बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित समिति आवेदन की जांच करेगी और अनुमोदन प्रदत्त करने के संबंध में या अन्यथा शर्तो, यदि कोई हों, जिनके अधीन ऐसा अनुमोदन प्रदान किया जाना है, के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट समिति की अध्यक्षता, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा की जाएगी और यह आयुक्त के रैंक से अन्यून दो अन्य आय-कर प्राधिकारियों से मिलकर बनेगी ।

(6) समिति बोर्ड के निमित अपनी सिफारिशें देने से पूर्व विनिधान निधि से ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग कर सकेगी, जैसा वह आवश्यक समझे और निधि के साथ-साथ आय-कर प्राधिकारियों और अन्य विभागों या अभिकरणों से ऐसे और ब्यौरे या सूचना की मांग कर सकेगी जैसा वह उचित समझे ।

(7) बोर्ड समिति की सिफारिशों के आधार पर उस मास के अंत से, जिसमें उपनियम (2) के अधीन आवेदन किया गया है, साठ दिन के भीतर,--

(i) लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, निधि को अनुमोदन अनुदत्त करेगा ; या

(ii) कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन को अस्वीकार कर देगा ।

(8) इस निमित्त विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए एक बार अनुदत्त किया गया अनुमोदन उपनियम (3) में निर्दिष्ट पूर्व वर्ष और पश्चातवर्ती पूर्व वर्षों के लिए तब तक लागू होगा जब तक उसे बोर्ड द्वारा प्रत्याहृत न कर दिया जाए ।

(9) किसी विनिधान निधि को धारा 9क के फायदों से इंकार नहीं किया जाएगा, जिसे किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अनुदत्त किया गया है, जिसके लिए अनुमोदन प्रवृत्त है और उसे प्रत्याहृत नहीं किया गया है ।

(10) बोर्ड किसी निधि को अनुदत्त अनुमोदन को प्रत्याहृत कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि,--

(क) अनुमोदन दुर्व्यपदेशन या कपट के आधार पर अभिप्राप्त किया गया है ; या

(ख) धारा 9क में वर्णित शर्तो को पूरा नहीं किया गया है ; या

(ग) कोई शर्त, जिसके अधीन अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, का उल्लंघन किया गया है ।

(11) आवेदन को अस्वीकार करने या अनुमोदन को प्रत्याहृत करने का कोई आदेश सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(12) आवेदन को अस्वीकार करने या उसको प्रत्याभूत करने के आदेश की प्रति निधि के साथ निधि पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी और प्रधान आयुक्त या आयुक्त को भी संसूचित की जाएगी ।

10फख. निधिं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण–(1) धारा 9क की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण पात्र विनिधान निधि द्वारा उसमें उपदर्शित रीति में सम्यकत: सत्यापित करके निधि पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को या उस निर्धारण अधिकारी को जिसकी उस पर अधिकारिता होती यदि धारा 9 के उपबंधों न होते तो निधि भारत में कराधेय होती, को प्ररूप 3गङट में प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरण डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन इलैक्ट्रानिकी रूप से प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों तथा मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा तथा वह उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में वार्षिक विवरण को प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को बनाने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

2. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 3गङञ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 3गङञ

[देखें नियम 10फ(7)]

किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा विनिधान प्रबंधक को संदत्त पारिश्रमिक के संबंध में संनिकट कीमत के संबंध में धारा 9क के प्रयोजनों के लिए किसी लेखापाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

* मैंने/हमने .... (पैन सहित निधि प्रबंधक का नाम और पता) के निधि प्रबंधन कार्यकलाप और अन्य संव्यवहारों या सेवाओं, जिन्हें निधि प्रबंधक द्वारा पात्र विनिधानकर्ता निधि/निधियों को 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के दौरान प्रदान किया गया है, के संबंध में लेखाओं और अभिलेखों की जांच कर ली है,

1. *मेरी/हमारी राय में निधि प्रबंधक द्वारा निधि प्रबंधन कार्यकलाप या निधि प्रबंधक द्वारा किए गए संव्यवहारों या निधि/निधियों को दी गई सेवाओं के लिए लिए जहां तक निधि प्रबंधक के अभिलेखों की * मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, यथाविहित उचित सूचना और दस्तावेज रखे गए हैं ।

2. धारा 9क के प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियां इस प्ररूप के उपाबंध में दी गई हैं । *मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबंध में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं ।

** हस्ताक्षरित

नाम

पता :

सदस्यता सं. :

स्थान :

पता :

टिप्पणियां :

1. * जो लागू न हों, उसे काट दें ।
2. ** इस रिपोर्ट पर धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं ।

प्ररूप सं0 3गङञ के उपाबंध

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क के प्रयोजनों के लिए दिए जाने के लिए अपेक्षित निधि प्रबंध क्रियाकलाप से संबंधित विशिष्टियां

1. निधि प्रबंधक का नाम
2. पता
3. स्थायी लेखा संख्यांक
4. निधि प्रबंधक के कारबार या क्रियाकलाप की प्रकृति
5. प्रास्थिति
6. आवासीय प्रास्थिति
7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे
   (क) विनियम, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है
   (ख) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और तारीख
8. समाप्त हुआ पूर्ववर्ष
9. निर्धारण वर्ष
10. लेखा बहियों के अनुसार पात्र निधि/निधियों से प्राप्त पारिश्रमिक का संकलित मूल्य

11. निम्नलिखित ब्यौरों सहित, उन पात्र विनिधान निधियों की सूची, जिनके लिए निधि प्रबंधक ने निधि प्रबंध क्रियाकलाप किए हैं

(क) अपतट निधि का नाम

(ख) निधि के आवास का देश

(ग) क्या निधि प्रबंधक, निधि का कोई कर्मचारी है हां/नहीं

(घ) क्या निधि प्रबंधक, निधि से संबंधित व्यक्ति है हां/नहीं

(ङ) निधि प्रबंधक के माध्यम से किए गए क्रियाकलापों से निधि को पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत लाभ की रकम

(च) (ड.) में से वह रकम, जिसका निधि प्रबंधक अपने संबंधित व्यक्तियों सहित प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: हकदार है

12. प्रत्येक पात्र विनिधान निधि और किए गए प्रत्येक क्रियाकलाप की बाबत प्राप्त पारिश्रमिक की विशिष्टियां (यदि ऐसे क्रियाकलाप का पारिश्रमिक पृथकत: दिया गया है) :

(क) निधि का नाम और पता, जिसके लिए निधि प्रबंधक ने क्रियाकलाप किया है

(ख) क्रियाकलाप का वर्णन

(ग) क्रियाकलाप की बाबत प्राप्त या प्राप्य कुल रकम--

(i) लेखा बहियों के अनुसार ;

(ii) संन्निकट कीमत को ध्यान में रखकर निधि प्रबंधक द्वारा यथासंगणित ;

(घ) संन्निकट कीमत अवधारित करने के लिए प्रयुक्त पद्धति (धारा 92ग(1) देखिए)

13. पात्र विनिधान निधि के साथ/की ओर से निधि प्रबंधक द्वारा किए गए किसी अन्य संव्यवहार की बाबत विशिष्टियां :

(क) क्या निधि प्रबंधक ने कोई अन्य संव्यवहार किया है या पात्र विनिधान निधि को या निधि की ओर से कोई अन्य सेवा दी है, किन्तु जो पूर्वोक्त में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं हो

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक निधि और प्रत्येक संव्यवहार या सेवा की बाबत निम्नलिखित ब्यौरे दें :

(क) पात्र विनिधान निधि का नाम और पता, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या जिसको सेवा दी गई है

(ख) संव्यवहार का वर्णन/सेवा की प्रकृति

(ग) ऐसे संव्यवहार/सेवा के मद्दे संदत्त/प्राप्त या संदेय/प्राप्य रकम-

- लेखा बहियों के अनुसार ;
- संन्निकट कीमत को ध्यान में रखकर निधि प्रबंधक द्वारा यथासंगणित

(घ) संन्निकट कीमत के अवधारण के लिए प्रयुक्त पद्धति (धारा 92ग(1) देखिए)

**हस्ताक्षरित

नाम :

पता :

स्थान :

तारीख :

1. **टिप्पण :** **यह रिपोर्ट धारा 288 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित की जानी है ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क के अधीन वार्षिक विवरण

प्ररूप सं0 3गड.ट

(नियम 10फख देखिए)

क्र0सं0		
1	वित्तीय वर्ष, जिसके लिए विवरण प्रस्तुत किया गया है	
2	पात्र निधि का नाम	
3	निधि का पता	
4	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)	
5	आवास का देश	
5	आवास के देश का कर पहचान संख्यांक, यदि कोई हो	
6	निधि का लेखा वर्ष	
7	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन, यदि कोई हो, के ब्यौरे	
8	क्या वित्तीय वर्ष के दौरान निधि ने धारा 9क में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है और अनुमोदित निधि की दशा में, क्या उन शर्तों को भी पूरा किया है, जिनके अध्यधीन अनुमोदन प्रदान किया गया था हां/नहीं	
9	यदि 8 का उत्तर नहीं में है, तो उसके ब्यौरे और पूरा नहीं किए जाने की अवधि तथा उसके कारण दें	
10	क्या भारत में निवासी किसी व्यक्ति का निधि में वर्ष के दौरान प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कोई भागीदारी हित था ? हां/नहीं	
11	यदि 10 का उत्तर हां में है, तो व्यक्ति/व्यक्तियों और प्रतिशतता हित के ब्यौरे दें	
12	किसी भारतीय समुत्थान की बाबत वर्ष के दौरान किए गए किसी शेयर धारिता करार के ब्यौरे	
13	निधि के लिए या उसकी ओर से सेवाएं देने वाले भारत में निधि प्रबंधक/प्रबंधकों के ब्यौरे और उनके भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
14	क्या निधि प्रबंधक/प्रबंधकों को संदत्त पारिश्रमिक	

	संन्निकट कीमत से कम नहीं है और वह आधार, जिस पर यह अवधारित किया गया है	
15	भारत में निधि द्वारा या निधि की ओर से 13 में उपदर्शित निधि प्रबंधक के माध्यम से भिन्न माध्यम से किए गए किसी अन्य क्रियाकलाप के ब्यौरे	
16	निधि द्वारा उसके विनिधानों पर प्राप्त लाभ की रकम	
17	निधि के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के संपर्क ब्यौरे	

सत्यापन

मैं...(पूरा नाम, स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री...(पदनाम)..................................ऊपर लिखित... (निधि का नाम) की ओर से सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करती हूं कि प्ररूप में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शायी गई अन्य विशिष्टियों का सत्य कथन है ।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह प्ररूप मेरे......................हैसियत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं/रही हूं और मैं इसे प्रस्तुत करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज तारीख...को सत्यापित किया गया ।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.."।

अधिसूचना सं0......14.../2016 (फा0सं0 142/15/2015-टीपीएल)

एकता जैन 15/3/16

(एकता जैन)

उप सचिव (*कर नीति और विधान*)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं0 का0आ0959(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना सं0 का0आ0 650(अ)तारीख 3 मार्च,2016 द्वारा संशोधित किए गए ।